

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 12, बुधवार, श॥के 1947- सितम्बर 03, 2025 <i>Bhadra 12, Wednesday, Saka 1947- September 03, 2025</i>	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत
करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 03, 2025

संख्या एफ. 13(17)विशा/विस/2025 :-राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025 जैसा कि दिनांक 03 सितम्बर, 2025 को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

Bill No.17 of 2025

THE RAJASTHAN FISHERIES (AMENDMENT) BILL, 2025

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Fisheries Act, 1953.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Fisheries (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. XVI of 1953.- In section 8 of the Rajasthan Fisheries Act, 1953 (Act No. XVI of 1953), hereinafter referred to as the principal Act,-

- (i) in sub-section (1), for the existing expression “five hundred rupees”, the expression “twenty five thousand rupees” shall be substituted; and

- (ii) in sub-section (2), for the existing expression “one thousand rupees”, the expression “fifty thousand rupees” shall be substituted.

3. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. XVI of 1953.- In sub-section (1) of section 11 of the principal Act, for the existing expression “one hundred rupees”, the expression “twenty five thousand rupees” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Fisheries Act, 1953 was enacted to provide for the protection, conservation and development of fisheries in the State of Rajasthan. Section 8 of the Act provides for penalties to be imposed, on any person contravening any provision of this Act and also, on a person, having once been convicted of a fishing offence, is again convicted of the same or any other fishing offence. In the present context the penalties are very meager under this Act and fishing offences are increasing day by day. In order to bring down the incidences of fishing offences the State Government has felt the urgent need to revise the rate of penalties. Section 11 of the Act provides for the power to compound offences by accepting a certain amount of sum. It has been decided to enhance the sum to be accepted for compounding the offence.

Accordingly, sections 8 and 11 of the Rajasthan Fisheries Act, 1953 are proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

भजन लाल शर्मा,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Fisheries Act, 1953.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहतरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 8 का संशोधन.- राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 16), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 8 में,-

- (i) उप-धारा (1), में विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 11 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान राज्य में मत्स्य-क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षण, और विकास के लिए राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1953 अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 8, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति पर और किसी ऐसे व्यक्ति पर भी जो मछली पकड़ने के अपराध के लिए एक बार सिद्ध दोष ठहराया गया हो, और उसके वैसे ही अपराध या मछली पकड़ने के किसी अन्य अपराध के लिए पुनः सिद्ध दोष ठहराया जाने पर, शास्तियां अधिरोपित करने का उपबंध करती है। वर्तमान संदर्भ में इस अधिनियम के अधीन शास्तियां बहुत कम हैं और मछली पकड़ने के अपराधों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। मछली पकड़ने के अपराधों की घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य सरकार ने शास्तियों की दर पुनरीक्षित किये जाने की तत्काल आवश्यकता महसूस की है। अधिनियम की धारा 11 एक निश्चित राशि स्वीकार कर अपराधों का शमन करने की शक्ति का उपबंध करती है। यह विनिश्चित किया गया है कि अपराधों के शमन के लिए स्वीकृत राशि को बढ़ाया जाये।

तदनुसार, राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1953 की धाराएं 8 और 11 संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

भजन लाल शर्मा,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

Government Central Press, Jaipur.